स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में,

सदस्यगण

तात्या आंध्रा मेगा पॉवर लिमिटेड

एकल वित्तीय विवरण लेखा परीक्षण रिपोर्ट

मत

हमने **तात्या आंध्र मेगा पॉवर लिमिटेड (कम्पनी)** की एकल वित्तीय विवरण का लेखा परीक्षण किया है। इसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों तथा अन्य स्पष्टीकरण के सारांश सहित 31 मार्च 2019 तक के तुलनपत्रक (बैलेंस शीट), लाभ और हानि संबंधी विवरण, शेयर में परिवर्तन संबंधी विवरण और उक्त तारीख को समाप्त हुए वर्ष में नकदी प्रवाह विवरण तथा वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणी शामिल है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उपर्युक्त एकल वित्तीय विवरण कम्पनी अधिनियम, 2013 के तहत अपेक्षित सूचनाएं उपलब्ध कराता है तथा भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखा परीक्षण सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च, 2019 तक कम्पनी के मामलों की, इसके हानि-लाभ (अन्य विस्तृत आय सहित), शेयरों में परिवर्तन और समाप्त हुए वर्ष के दौरान नकदी प्रवाह की स्थिति सहित वास्तविक और निष्पक्ष जानकारी देता है।

मत का आधार

हमने कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 143 (दस) के तहत स्पष्ट लेखा परीक्षण मानकों (एसएएस) के अनुरूप लेखा परीक्षण कार्य पूरा किया। इन मानकों के तहत हमारे उत्तरदायित्वों का हमारी रिपोर्ट में **वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण में लेखाकार के दायित्व** खंड में वर्णन किया गया है। इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) से जारी नीति संहिता तथा अधिनियम के प्रावधानों और इसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार एकल वित्तीय विवरण के लेखा परीक्षण के लिए नीति संबंधी अपेक्षाओं के अनुरूप हमारी कम्पनी एक स्वतंत्र कम्पनी है तथा हमने अपने अन्य नीतिगत दायित्वों को इन अपेक्षाओं और नीति सहिता के अनुरूप पूरा किया है। हमारा विश्वास है कि हमें प्राप्त लेखा परीक्षण साक्ष्य हमारी राय का आधार उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त और समुचित हैं।

कम्पनी के जारी रहने से संबंधित अनिश्चितता का मुद्दा

हम वित्तीय विवरण की टिप्पणी 17 की ओर ध्यान दिलाना चाहेंगे, जो कम्पनी के जारी रहने की क्षमता से संबंधित है, एमओपी के निर्देशों के अनुसार कम्पनी को बंद किया जाना है। इस मामले में हमारी राय भी अलग नहीं है।

एकल वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और प्रशासन प्रभारियों के दायित्व

कम्पनी का निदेशक मंडल कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (5) में उल्लिखित मामलों के प्रति उत्तरदायी हैं। ये मामले कम्पनी की वित्तीय स्थिति के बारे में सही और निष्पक्ष जानकारी देने, उसके वित्तीय प्रदर्शन (अन्य व्यापक आय सहित), अधिनियम के अनुच्छेद 133 के तहत कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम 2015 सहित भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप कम्पनी के शेयरों और नकद प्रवाह में बदलाव से संबंधित हैं। इन दायित्वों में कम्पनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा संबंधी अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त लेखांकन रिकार्ड का प्रबंधन और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने और रोकथाम; समुचित लेखांकन नीतियों का चुनाव और लागू करना; तर्कसम्मत और ठोस निर्णय और आकलन; तथा आंतरिक वित्तीय नियंत्रण तय करना, उनका क्रियान्वयन और प्रबंधन भी शामिल है। आंतरिक वित्तीय नियंत्रण लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, वास्तविक और निष्पक्ष दृष्टिकोण तथा गलत बयानी से मुक्त, चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो या भूल के कारण, वित्तीय विवरण की तैयारी और प्रस्तुति से संबंधित है।

एकल वित्तीय विवरणों की तैयारी में निदेशक मंडल कम्पनी के जारी रहने की क्षमता के आकलन और जारी रखे जाने की क्षमता को स्पष्ट करने तथा लेखा परीक्षण के लिए इसे आधार बनाने के लिए उत्तरदायी है, जब तक कि निदेशक मंडल कम्पनी को समाप्त करना या उसका संचालन बंद करना न चाहता हो या उसके पास ऐसा करने के सिवाए कोई अन्य विकल्प न हो।

निदेशक मंडल कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के निरीक्षण के लिए भी उत्तरदायी है।

एकल वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण के लिए लेखा परीक्षक का दायित्व

हमारा उद्देश्य प्राप्त मत सहित लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना और इस बात की ठोस आश्वस्ति पाना है कि एकल वित्तीय विवरण किसी भी प्रकार की गलत बयानी से मुक्त हो, चाहे यह किसी धोखाधड़ी के कारण हुआ हो या किसी भूल के कारण। तर्कसम्मत आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन ये इस बात की गारंटी नहीं है कि मानक लेखा परीक्षण के अनुरूप किया गया लेखा परीक्षण हमेशा भौतिक गलत बयानी का पता लगा लेगा। इस प्रकार की गलत बयानी, धोखाधड़ी या किसी भूल के कारण हो सकती है। लेकिन, इन्हें असर डालने वाला तभी

माना जाएगा, जब एकल या सामूहिक रूप से इनसे उपयोगकर्ताओं के आर्थिक फैसलों पर असर पड़ने की आशंका हो।

मानक लेखांकन के अनुरूप लेखा परीक्षण में हमने पेशेगत निर्णय लिए हैं और पूरे परीक्षण के दौरान कड़ी निगरानी बनाए रखी है। हमने ये कदम भी उठाए हैं :

- एकल वित्तीय विवरणों के असर डालने वाले गलत बयानों को पहचानने और उनके आकलन का प्रयास किया है। चाहे ये धोखाधड़ी के कारण हुए हों या भूल के कारण। इन जोखिमों से निपटने वाली लेखा परीक्षण प्रक्रिया तय की है और उसे अपनाया है तथा हमारे मत का समुचित आधार उपलब्ध कराने वाले लेखा परीक्षण साक्ष्य हासिल किए हैं। धोखाधड़ी के कारण गलत बयानी का पता न चल पाने का जोखिम भूल के कारण हुई गलत बयानी के जोखिम से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी के पीछे साठगांठ, जालसाज़ी, जानबूझ कर की गई त्रुटि, गलत प्रस्तुति या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन कारण हो सकते हैं।
- परिस्थितियों के उपयोग से लेखा परीक्षण प्रक्रिया तय करने के उद्देश्य से लेखा परीक्षण से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की जानकारी हासिल करना। अधिनियम के अनुच्छेद 143(3)(i) के तहत हम यह स्पष्ट करने के लिए भी उत्तरदायी हैं कि क्या कम्पनी के पास अपनी पर्याप्त वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और यदि हां, तो इसकी संचालन प्रभावकारिता क्या है।
- प्रयुक्त लेखा परीक्षण नीतियों की उपयुक्तता के आकलन, और लेखा परीक्षण अनुमानों की तर्कसंगतता और प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित स्पष्टीकरण के मूल्यांकन के लिए भी कदम उठाए गए हैं।
- लेखा परीक्षण के लिए प्रबंधन द्वारा आधारों के उपयोग की उपयुक्तता तथा प्राप्त लेखा परीक्षण साक्ष्यों के आधार पर कम्पनी के जारी रहने की क्षमता पर संदेह खड़ा करने वाली अनिश्चितता के बारे में निष्कर्ष निकालना। यदि हम पाते हैं कि कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें लेखा परीक्षक रिपोर्ट में वित्तीय विवरण के संबंधित अंश की ओर अथवा यदि ऐसे खुलासे हमारा मत बदलने में अपर्याप्त हैं, तो इस ओर भी ध्यान दिलाना होगा। हमारे निष्कर्ष लेखा परीक्षक की रिपोर्ट तक प्राप्त लेखा परीक्षण साक्ष्यों पर आधारित होते हैं। हालांकि भविष्य की घटनाएं या परिस्थितियां कम्पनी को जारी रखे जाने से रोक सकती हैं।
- स्पष्टीकरण सहित एकल वित्तीय विवरण की समग्र प्रस्तुति, रूपरेखा और विषयवस्तु का मूल्यांकन और इस बात का भी आकलन करना कि वित्तीय विवरण निष्पक्ष प्रस्तुति के लिए लेनदेन और अन्य मामलों का प्रतिनिधित्व करते हैं या नहीं।

हम लेखा परीक्षण के नियोजित दायरे और समय तथा परीक्षण के दौरान सामने आई आंतरिक नियंत्रण सबंधी बड़ी खामी सहित महत्वपूर्ण लेखा परीक्षण निष्कर्षों के बारे में उन लोगों से सम्पर्क करते हैं, जिन्हें इस संबंध में प्रशासन का जिम्मा दिया गया था।

हम प्रशासन से संबंधित लोगों को एक विवरणी भी उपलब्ध कराते हैं कि हमने संबंधित नीतिगत आवश्यकताओं का अनुपालन किया है और हमारी स्वतंत्रता पर असर डालने वाले अन्य संबंधों और मामलों तथा सुरक्षा उपायों से उन्हें अवगत करा दिया है।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. केंद्र सरकार द्वारा कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 की उपधारा 11 के तहत जारी कम्पनी लेखा परीक्षण रिपोर्ट आदेश, 2016 ("आदेश") की अपेक्षा अनुसार हमने आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में दर्शाए मामलों के बारे में लागू होने की सीमा तक, अनुलग्नक-1 में विवरणी दी है।
2. अधिनियम की धारा 143(5) के अनुरूप हम कम्पनी के उस रिकॉर्ड के अनुसार अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसे हमने नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों और उप-निर्देशों पर अनुलग्नक-2 में हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर उचित पाया है।
3. अधिनियम की धारा 143(3) की अपेक्षा अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि -

क) हमने वे सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार लेखा परीक्षण के लिए जरूरी थे।

ख) हमारे मत में कानून द्वारा अपेक्षित पर्याप्त लेखा परीक्षण पुस्तकें कम्पनी के पास हैं, जैसा कि इन पुस्तकों के हमारे परीक्षण से प्रतीत होता है।

ग) रिपोर्ट में तुलनपत्रक, लाभ हानि विवरण, शेयर और नकदी प्रवाह में परिवर्तन विवरणी संबंधी मामले लेखा पुस्तकों में उपलब्ध कराए गए समाधान के अनुरूप हैं।

घ) हमारी राय में उपर्युक्त एकल वित्तीय विवरणी अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों, कम्पनी लेखा नियम 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ा जाए, के अनुपालन में हैं।

ङ) एक सरकारी कम्पनी होने के नाते भारत सरकार की ओर से पांच जून 2015 को जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) के अनुरूप, निदेशक की अयोग्यता के बारे में अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं।

च) कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की संचालन प्रभावकारिता के संदर्भ में अनुलग्नक-3 में हमारी पृथक रिपोर्ट देखें।

छ) सरकारी कम्पनी होने के नाते भारत सरकार द्वारा पांच जून 2015 को जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) के अनुरूप प्रबंधकीय पारिश्रमिक के संदर्भ में अधिनियम की धारा 197(16) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं।

ज) कम्पनी लेखा परीक्षण और लेखा परीक्षक नियम 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक रिपोर्ट में शामिल की जाने वाली अन्य बातें हमारे मत में, हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार इस प्रकार हैं-

i. म्पनी का कोई भी कानूनी मामला लम्बित नहीं है, जो इसकी वित्तीय स्थिति पर असर डाल सके।

ii. कम्पनी के पास डेरिव्हेटिव्स और अनुबंध सहित लम्बी अवधि का कोई भी अनुबंध नहीं है, जिसके लिए किसी भौतिक हानि की आशंका हो।

iii. ऐसी कोई राशि नहीं थी, जिसे कम्पनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षा कोष में अंतरित किया जाना अपेक्षित था।

कृते
ए.के. जैन एंड एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 000865एन
अरुण कुमार जैन
(साझेदार)
सदस्यता संख्या 080666

स्थान - नई दिल्ली
दिनांक - 20.05.2019

तात्या आंध्रा मेगापॉवर लिमिटेड के स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट का अनुलग्नक-I

तात्या आंध्रा मेगापॉवर लिमिटेड (कम्पनी) के सदस्यों को प्रस्तुत 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में अनुलग्नक।

हम रिपोर्ट करते हैं किः-

1. कम्पनी के पास कोई स्थाई परिसम्पत्तियां नहीं हैं। इसीलिए आदेश के पैराग्राफ-3 की धारा(i) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते।
2. कम्पनी के पास कोई **इन्वेंटरी** नहीं है। इसीलिए आदेश के पैराग्राफ 3 की धारा (ii) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते।
3. कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत आने वाली कम्पनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों को कोई ऋण, सुरक्षित या असुरक्षित नहीं दिया है।
4. हमारे मत में और हमें उपलब्ध कराई गई सूचनाओं और स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने अपने किसी निदेशक की ओर से, जैसा कि अधिनियम की धारा 185 के तहत उल्लिखित है, कोई ऋण गारंटी और सिक्योरिटी नहीं दी है। कम्पनी ने दिए गए ऋणों के संदर्भ में अधिनियम की धारा 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है।
5. कम्पनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर और हमें उपलब्ध कराई गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी राय में कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 के संबंधित प्रावधानों या धारा 73 से 76 के प्रावधानों और संबंधित नियमों के तहत आम लोगों से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है।
6. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी की किसी भी गतिविधि के लिए केंद्र सरकार द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उपधारा (1) के तहत रिकॉर्ड की रख-रखाव लागत निर्दिष्ट नहीं किया गया है।
7. (क) कंपनी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, वस्तु और सेवा कर तथा सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, उपकर और उस पर लागू कोई अन्य सांविधिक बकाया समुचित प्राधिकरणों को नियमित जमा करती रही है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार 31 मार्च, 2019 को भुगतान योग्य होने की तिथि से 6 माह से अधिक की अवधि का कोई अविवादित सांविधिक बकाया नहीं है।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार 31 मार्च, 2019 को बकाया आय कर, बिक्री कर, सेवा कर, वस्तु और सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और मूल्य संवर्धित कर के मद में भुगतान योग्य कोई भी विवादित सांविधिक बकाया नहीं है।

8. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने किसी वित्तीय संस्था या बैंक, या डिबेंचर धारकों से कोई ऋण नहीं लिया है। इसलिए आदेश के पैराग्राफ 3 की धारा (viii) कम्पनी पर लागू नहीं होती।
9. कम्पनी ने शुरुआती पब्लिक आफर या अगले पब्लिक आफर (ऋण सहित) और सावधि ऋण के जरिए धन नहीं जुटाया है। इसलिए आदेश के पैराग्राफ 3 की धारा (ix) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते।
10. लेखा परीक्षण प्रक्रियाओं तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर लेखा परीक्षण वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या कम्पनी के किसी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा धोखाधड़ी का कोई मामला सामने नहीं आया या इसकी सूचना या रिपोर्ट नहीं मिली।
11. सरकारी कंपनी होने के नाते, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 05.06.2015 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) के अनुसार अधिनियम की धारा 197 के प्रबंधकीय पारिश्रमिक संबंधी प्रावधान, अनुसूची v के साथ पढ़ा जाए, कंपनी पर लागू नहीं होते।
12. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। इसलिए चूक के बारे में आदेश के पैराग्राफ 3 की धारा (xii) कंपनी पर लागू नहीं होती।
13. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कम्पनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर कम्पनी ने संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन, अपने सामान्य कारोबारी क्रम में दर्ज किया है। इसीलिए अधिनियम की धारा 177 और 188 के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते। हालांकि इस प्रकार के लेनदेन का ब्यौरा व्यवहार्य लेखांकन मानकों की अपेक्षा अनुसार वित्तीय विवरण में स्पष्ट किया गया है।
14. कम्पनी के रिकार्ड के अनुसार कम्पनी ने वर्ष के दौरान कोई अधिमानी आवंटन या शेयरों अथवा आंशिक या पूर्ण परिवर्तनीय डिबेंचरों का निजी प्लेसमेंट नहीं किया है। इसीलिए आदेश के पैराग्राफ 3 की धारा (xiv) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते।
15. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कम्पनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर कम्पनी ने निदेशकों या उनसे संबंधित व्यक्तियों के साथ कोई गैर-रोकड़ लेनदेन नहीं किया है। इसीलिए आदेश के पैराग्राफ 3 की धारा (xv) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते।

16. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-1ए के अंतर्गत पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है।

कृते
ए.के. जैन एंड एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 000865एन
अरुण कुमार जैन
(साझेदार)
सदस्यता संख्या 080666

स्थान - नई दिल्ली
दिनांक - 20.05.2019

तात्या आंधा मेगा पॉवर लिमिटेड की स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट का अनुलग्नक-II

31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए तात्या आंधा मेगा पॉवर लिमिटेड (कम्पनी) के सदस्यों को प्रस्तुत हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में अनुलग्नक

31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा सांविधिक लेखा परीक्षक को जारी निर्देशों का प्रत्युत्तर

क्रम सं	विवरण	उत्तर
1	क्या कम्पनी के पास सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के जरिए सभी लेनदेन की लेखांकन प्रक्रिया की उपयुक्त प्रणाली है? यदि हां, तो लेखे के साथ साथ वित्तीय पक्षों की प्रामाणिकता पर सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली से अलग लेनदेन लेखांकन प्रक्रिया का प्रभाव, यदि कोई है, तो उल्लेख किया जा सकता है।	हां, कम्पनी के पास सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के जरिए सभी लेनदेन लेखांकन को प्रक्रिया में लाने के लिए की प्रणाली है, जैसे, ओरेकल। हमारी राय में और हमें दी गई सर्वोत्तम जानकारी और स्पष्टीकरण अनुसार कम्पनी के पास ओरेकल में पोस्ट की गई प्रविष्टियों की सत्यता की जांच के लिए पर्याप्त नियंत्रण प्रणाली है।
2	क्या कम्पनी द्वारा किसी ऋणदाता की बकाया राशि चुकाने में असमर्थता के कारण मौजूदा ऋण का पुनर्गठन किया गया है या छूट/माफी/ब्याज माफी दी गई है? यदि हां, तो इसके वित्तीय प्रभाव का उल्लेख करें।	ऋण माफी/छूट या ब्याज में माफी/छूट का कोई मामला नहीं है। इसीलिए यह खंड लागू नहीं होता।
3	क्या केंद्र/राज्य की एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त या प्राप्त होने वाली निधि का, इसकी शर्तों और नियमों के अनुसार समुचित लेखांकन/उपयोग किया गया? यदि नहीं, तो ऐसे मामलों का उल्लेख करें।	केंद्र/राज्य की एजेंसियों से विशेष योजनाओं के लिए कोई भी निधि प्राप्त नहीं की गई है/न प्राप्त की जाने वाली है। इसलिए ये खंड व्यवहार्य नहीं है।

कृते
ए.के. जैन एंड एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 000865एन
अरुण कुमार जैन
(साझेदार)
सदस्यता संख्या 080666

स्थान - नई दिल्ली
दिनांक - 20.05.2019

तात्या आंध्रा मेगा पॉवर लिमिटेड की स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट का अनुलग्नक-III

31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए तात्या आंध्रा मेगा पॉवर लिमिटेड (कम्पनी) के सदस्यों को प्रस्तुत हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में अनुलग्नक

कंपनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए तात्या आंध्रा मेगा पॉवर लिमिटेड (''कंपनी'') के एकल वित्तीय विवरणों के साथ कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा परीक्षण किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में प्रबंधन का दायित्व:

कंपनी का प्रबंधन वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा के बारे में इंस्टिट्यूट आफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आफ इंडिया ('आईसीएआई') द्वारा जारी 'गाइडेंस नोट' के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना और उन्हें बनाए रखने के प्रति जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में ऐसे समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की रूपरेखा तय करना, उनका कार्यान्वयन और रख-रखाव शामिल है, जो इसके व्यवसाय के सुचारू और सक्षम संचालन सुनिश्चित करने के लिए लागू किए जा सकें। इनमें कंपनी की नीतियों का अनुसरण, उसकी परिसम्पत्तियों का संरक्षण, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाना, लेखांकन रिकार्डों की परिशुद्धता और पूर्णता, और कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अपेक्षित विश्वसनीय वित्तीय जानकारी समय पर तैयार करना भी शामिल है।

लेखा परीक्षक का दायित्व

हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखा परीक्षण के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के बारे में राय जाहिर करना है। हमने अपनी लेखा परीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ('आईसीएआई') द्वारा 'वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों' की लेखा परीक्षा के बारे में जारी और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों' की लेखा परीक्षा के लिए व्यवहार्य सीमा तक निर्धारित समझे गए, 'परामर्श टिप्पणी' (''गाइडेंस नोट'') और लेखांकन मानकों के अनुसार की है। ये दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों' की लेखा परीक्षा पर लागू होते हैं और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ('आईसीएआई') द्वारा जारी किए गए हैं। ये मानक और गाइडेंस नोट यह अपेक्षा करते हैं कि हम नीतिपरक अपेक्षाओं का अनुपालन करें और लेखा परीक्षण योजना इस तरह बनाएं और इस तरह लेखापरीक्षण करें जिससे इस बात का

युक्तिसंगत आश्वासन मिले कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण कायम किए गए और बनाए रखे गए तथा सभी महत्वपूर्ण मामलों में संचालित किए गए।
हमारी लेखा-परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और उसकी प्रचालनगत सक्षमता के बारे में लेखापरीक्षण साक्ष्य प्राप्त करने की निष्पादक प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की हमारी लेखा परीक्षा के अंतर्गत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, किसी खामी के जोखिम का आकलन करना, और आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की रूपरेखा और उसकी प्रचालनगत क्षमता का परीक्षण एवं मूल्यांकन करना शामिल है। चुनी गई प्रक्रियाएं लेखा परीक्षक के निर्णय पर आधारित होती हैं, जिनमें वित्तीय विवरणों के बारे में गलत बयानी, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुई हो, के जोखिम का आकलन शामिल होता है।
हमारा विश्वास है कि हमें जो लेखा परीक्षा संबंधी साक्ष्य प्राप्त हुए, वे वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के बारे में हमारी राय को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ:

किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एक ऐसी प्रक्रिया है, जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने और आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए तय की जाती है। किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं, जो (1) ऐसे रिकॉर्ड रखने से संबंधित हों, जो कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और उनकी स्थिति को युक्तिसंगत, सही-सही और निष्पक्ष रूप से दर्शाती हों; (2) इस आशय का युक्तिसंगत आश्वासन प्रदान करती हों कि उनके लेनदेन का रिकॉर्ड आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति के लिए आवश्यक रूप से रखा गया है, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय कम्पनी प्रबंधन तथा निदेशकों के प्राधिकारों के अनुसार किए जा रहे हैं; और (3) कम्पनी की परिसंपत्तियों के ऐसे अनधिकृत अर्जन, इस्तेमाल या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के बारे में उपयुक्त आश्वासन प्राप्त किया जा सके, जिनका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने वाला हो।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं

आंतरिक नियंत्रणों के विफल होने या अनुचित प्रबंधन और उल्लंघन होने की आशंका सहित, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं होती हैं,

जिनसे त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण ऐसी महत्वपूर्ण गलत बयानी हो सकती है, जिसका पता न चल पाए। इसके अतिरिक्त भावी अवधियों से संबंधित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के मूल्यांकन के निष्कर्ष इस जोखिम के अधीन होते हैं कि स्थितियों में परिवर्तन, अथवा नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन में कमी के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकते हैं।

हमारी राय:

हमारी राय में कम्पनी ने, सभी महत्वपूर्ण विषयों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखे हैं और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक नियंत्रण 31 मार्च, 2017 तक कारगर ढंग से लागू थे, जो इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा के बारे में जारी गाइडेंस नोट में वर्णित थे।

कृते
ए.के. जैन एंड एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 000865एन
अरुण कुमार जैन
(साझेदार)
सदस्यता संख्या 080666

स्थान - नई दिल्ली
दिनांक - 20.05.2019

तात्या आंध्रा मेगा पावर लिमिटेड

सीआईएन : डी40200डीएल2009जीओआई189476

31 मार्च 2019 को तुलनपत्रक

(₹ सौ में)

	विवरण	**टिप्पणी संख्या**	**31 मार्च, 2019 को**	**31 मार्च, 2018 को**	**01 अप्रैल, 2017 को**	
(I)	**परिसम्पत्तियां**					
(1)	**चालू परिसम्पत्तियां**					
	(क) वित्तीय परिसम्पत्तियां					
	(i) नकदी और नकदी समतुल्य	4	118.86	258.91	147.10	
	(ii) ऋण	5	20,28,158.73	17,61,899.60	17,12,537.33	
	(iii)अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	6	2,32,116.29	4,37,267.59	4,35,211.57	
	(ख) चालू कर परिसम्पत्तियां (शुद्ध)	7	16.97	16.79	10.99	
	कुल चालू परिसम्पत्तियां		**22,60,410.85**	**21,99,442.89**	**21,47,906.99**	
	कुल परिसम्पत्तियां		**22,60,410.85**	**21,99,442.89**	**21,47,906.99**	
(II)	**इक्विटी और देनदारियां**					
(1)	**इक्विटी**					
	(क) इक्विटी शेयर पूंजी	8	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	(ख) अन्य इक्विटी	9	(149.36)	(149.72)	(149.72)	
	कुल इक्विटी		**4,850.64**	**4,850.28**	**4,850.28**	
(2)	**देनदारियां**					
(A)	**मौजूदा देनदारियां**					
	(क) वित्तीय देनदारियां					
	(i) अन्य वित्तीय देनदारियां	10	22,49,749.28	21,89,183.48	21,37,026.58	
	(ख) अन्य चालू देनदारियां	11	5,810.93	5,409.13	6,030.13	
	कुल चालू देनदारियां		**22,55,560.21**	**21,94,592.61**	**21,43,056.71**	
	कुल इक्विटी और देनदारियां		**22,60,410.85**	**21,99,442.89**	**21,47,906.99**	(0.00)

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां 1-3

वित्तीय विवरणों पर साथ लगी टिप्पणी देखें 1-32

कृते निदेशक मंडल/निदेशक मंडल के लिए

(योगेश जुनेजा)	**(आलोक सिंघल)**	**(नवीन भूषण गुप्ता)**
निदेशक	**निदेशक**	**अध्यक्ष**
DIN:02913155	**DIN:00795955**	**DIN:00530741**

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते
एके जैन एंड एसोसिएट
(सनदी लेखाकार)
(कम्पनी पंजीकरण सं. : 00865N)

(अरुण कुमार जैन)
साझीदार
सदस्यता सं. : 080666
स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 20.05.2019

तात्या आंध्रा मेगा पावर लिमिटेड

सीआईएन : डी40200डीएल2009जीओआई189476

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ हानि विवरण

(₹ सौ में)

विवरण	**टिप्पणी संख्या**	**31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए**
परिचालन आय		-	-
अन्य आय	12	66,225.96	57,987.74
कुल आय (I)		**66,225.96**	**57,987.74**
व्यय			
अन्य व्यय		66,225.47	57,987.74
कुल व्यय (II)		**66,225.47**	**57,987.74**
कर (I- II =III) से पहले लाभ		**0.49**	**-**
कर व्यय: (IV)			
चालू कर	13	0.13	-
बकाया कर		-	-
कर (III - IV = V) के बाद शुद्ध लाभ		**0.36**	**-**
अन्य व्यापक आय		-	-
अवधि (V + VI =VII) के लिए कुल व्यापक आय		**0.36**	**-**
प्रति इक्विटी शेयर आय : (VIII) रुपये (प्रत्येक 10 के मूल्य पर) प्राथमिक और न्यूनीकृत)	14	0.001	-

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां 1-3

वित्तीय विवरणों के लिए साथ लगी टिप्पणियां देखें 1-32

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

(योगेश जुनेजा) **(आलोक सिंघल)** **(नवीन भूषण गुप्ता)**

निदेशक **निदेशक** **अध्यक्ष**

DIN:02913155 **DIN:00795955** **DIN:00530741**

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते

एके जैन एंड एसोसिएट

(सनदी लेखाकार)

(कम्पनी पंजीकरण संख्या. : 00865N)

(अरुण कुमार जैन)
साझेदार
सदस्यता सं. : 080666
।स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 20.05.2019

तात्या आंध्रा मेगा पावर लिमिटेड

सीआईएन : डी40200डीएल2009जीओआई189476

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

(₹ सौ में)

	विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
क.	**परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह :**		
	कर पूर्व शुद्ध लाभ/हानि	0.49	-
	कार्यशील पूंजी बदलाव से पहले शुद्ध लाभ/(हानि)	**0.49**	**-**
	कार्यशील पूंजी में बदलावों के लिए समायोजन :		
	- अन्य चालू वित्तीय देनदारियों में वृद्धि/कमी	60,565.80	52,156.90
	- अन्य चालू देनदारियों में वृद्धि/कमी	401.80	(621.00)
	- अन्य चालू वित्तीय परिसम्पत्तियों में (वृद्धि)/कमी	(61,107.83)	(51,418.29)
	परिचालन गतिविधियों से सृजित नकदी	**(139.74)**	**117.61**
	आयकर भुगतान	(0.31)	(5.80)
	परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह	**(140.05)**	**111.81**
ख	**निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह :**		
	जारी पूंजीगत कार्य में बढ़ोतरी	-	-
	निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह	**-**	**-**
ग.	**वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह :**		
	उधारी से किए गए कार्य	-	-
	उधारी का पुनर्भुगतान	-	-
	वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह	**-**	**-**
	नकदी और नकदी समतुल्य में वृद्धि/(कमी)	**(140.05)**	**111.81**
	1 अप्रैल को नकदी और नकदी समतुल्य (प्रारम्भिक शेष)	258.91	147.10
	31 मार्च को नकदी और नकदी समतुल्य (अंतिम शेष) (नोट-4)	**118.86**	**258.91**
	शामिल :		
	बैंकों में चालू खाते में अधिशेष	118.86	258.91

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

(योगेश जुनेजा) **(आलोक सिंघल)** **(नवीन भूषण गुप्ता)**

निदेशक	निदेशक	अध्यक्ष
DIN:02913155	DIN:00795955	DIN:00530741

इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते तथा ओर से

(सनदी लेखाकार)
(कम्पनी पंजीकरण संख्या. : 00865N)

(अरुण कुमार जैन)
साझेदार
सदस्यता सं. : 080666
स्थान नई दिल्ली
दिनांक : 20.05.2019

तात्या आंध्रा मेगा पावर लिमिटेड

सीआईएन : डी40200डीएल2009जीओआई189476

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ सौ में)

विवरण	राशि
01 अप्रैल 2017 को अधिशेष	5,000.00
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-
31 मार्च, 2018 को अधिशेष	5,000.00
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-
31 मार्च, 2019 को अधिशेष	5,000.00

ख. अन्य इक्विटी

(₹ ।सौ में)

विवरण	राशि
प्रतिधारित आय	
01 अप्रैल 2017 को अधिशेष	(149.72)
वर्ष (वित्त वर्ष 2017-18) के लिए कुल व्यापक आय	-
31 मार्च, 2018 को अधिशेष	(149.72)
वर्ष (वित्त वर्ष 2018-19) के लिए कुल व्यापक आय	0.36
31 मार्च, 2019 को अधिशेष	(149.36)

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

(योगेश जुनेजा)	**(आलोक सिंघल)**	**(नवीन भूषण गुप्ता)**
निदेशक	**निदेशक**	**अध्यक्ष**
DIN:02913155	**DIN:00795955**	**DIN:00530741**

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते तथा ओर से

ए के जैन एंड एसोसिएट्स

(सनदी लेखाकार)
(कम्पनी पंजीकरण संख्या. : 00865N)

(अरुण कुमार जैन)
साझेदार
सदस्यता संख्या : 080666
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 20.05.2019

तात्या आंध्रा मेगा पावर लिमिटेड

सीआईएन : डी40200डीएल2009जीओआई189476

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर नोट

1 कॉर्पोरेट जानकारी

यह कम्पनी, पॉवर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड (भारत सरकार का उद्‌यम) के पूर्ण स्वामित्व वाली सहयोगी है। इसकी शुरुआत 17 अप्रैल 2009 को कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत हुई थी। इसे व्यापार शुरु प्रमाणपत्र 19 फरवरी 2010 को जारी किया गया। कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय पहली मंजिल, ऊर्जा बाराखम्बा लेन, कनाटप्लेस, नई दिल्ली 110001 पर स्थित है। यह कम्पनी आंध्र प्रदेश में 4000 मेगावाट मेगा पावर प्रोजेक्ट की स्थापना के उद्‌देश्य से भूमि अधिग्रहण और प्रारंभिक कार्यों, जैसे पर्यावरण, वन सहित वैधानिक मंजूरी में सुविधा के लिए विशेष प्रयोजन माध्यम (स्पेशल पर्पज व्हीकल) है।

हालांकि बिजली मंत्रालय ने अपने पत्र संख्या 12/9/2008-यूएमपीपी दिनांक 2 जनवरी 2014 के द्‌वारा, अ सरकार के निर्णय को देखते हुए परियोजना बंद करने के अपने फैसले से सूचित किया। आंध्र प्रदेश स अपने पत्र संख्या 9072/पीआर.IV/2010-1 के द्‌वारा उपर्युक्त परियोजना पर आगे काम नहीं करने के मंत्रालय को सूचित किया था।

पॉवर फाइनेंत कार्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल ने 14.8.2014 की अपनी बैठक में टीएएमपीएल को के प्रस्ताव का अनुमोदन किया था। यह अनुमोदन, कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 के प्रावधानों, कोई हो तो अन्य व्यवहार्य प्रावधान के अनुरूप, मौजूदा समय में लागू करने योग्य वैधानिक अधिसूचन और बिजली मंत्रालय में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत अन्य व्यवहार्य कानूनों के तहत, किया गया औ मंत्रालय से इसके अनुरूप अनुमोदन के लिए अनुरोध किया गया। बिजली मंत्रालय ने अपने कार्याल दिनांक 21 जून, 2016 के जरिए टीएएमपीएल को बंद करने की अपनी मंजूरी दे दी। इसके अनुसार टीएएम आंध्र प्रदेश सरकार के समक्ष कुछ मुद्दे रखे। इन मुद्‌दों के समाधान के बाद टीएएमपीएल को बंद प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

2 सामान्य

(क) अनुपालन विवरण और तैयारी का आधार

ये वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत और लेखांकन के संचित आधार पर तैयार किए गए हैं और कम्पनी लेखांकन मानक) नियम 2015 और कम्पनी अधिनियम 2013 के व्यवहार्य प्रावधानों के तहत अधिसूचित लेखांकन मानक (इंड एएस) के अनुपालन में है। ये कम्पनी के पहले इंड एएस वित्तीय विवरण हैं। इंड अवस्थानांतरण की तिथि 1 अप्रैल 2017 है।

वित्तीय विवरण में पूर्व अवधि के आंकड़े उन समान लेखांकन सिद्‌धांतों के अनुरूप दिए गए हैं, जिन्हें क पहले इंड एएस वित्तीय विवरणों की तैयारी में प्रयुक्त किया गया है।

कम्पमी के वित्तीय विवरण भारतीय रुपये (आईएनआर) में दिए गए हैं, जो चालू मुद्रा है।

इन वित्तीय विवरणों में राशियों को 2 दशमलव अंक (जब तक कि अन्य ढंग से संकेतित न हो) तक निक
में व्यक्त किया गया है।

(ख) आकलनों का उपयोग

वित्तीय विवरण की तैयारी के लिए आय, व्यय, परिसम्पत्ति और देनदारी तथा वित्तीय विवरण की तारीख
देनदारियों से संबंधित स्पष्टीकरण को प्रभावित करने वाले, आकलन और अनुमानों के प्रबंधन की आवश्य
है। वास्तविक परिणाम आकलन से अलग हो सकते हैं। आकलनों और अनुमानों की समीक्षा नियमित रू
जाती है। जिस अवधि में आकलनों में संशोधन होता है और आगे की किसी अवधि में असर पड़ने की
होती है, तो लेखांकन आकलन में संशोधन किया जाता है।

3 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

(क) आय/व्यय को मान्यता

आय और व्यय की गणना। प्रोदभवन आधार पर की जाती है।

(ख) पूर्व अवधि व्यय

पूर्व अवधि की त्रुटियों का संशोधन, जिस पूर्व अवधि में त्रुटि हुई है, उसके लिए तुलनात्मक राशि को फिर
कर की जाती है। यदि यह त्रुटि उपलब्ध पूर्व अवधि से भी पहले हुई है, तो उपलब्ध सर्वाधिक पूर्व अ
परिसम्पत्तियों, देनदारियों और इक्विटी के आरंभिक शेष की गणना फिर से की जाती है।

(ग) नकदी और नकदी समतुल्य

नकदी में मौजूदा राशि और डिमांड डिपोजट राशि आती है। कम्पनी नकदी समतुल्य को, सभी लघु अ
(तीन महीने की या अधिग्रहण तिथि से कम की वास्तविक परिपक्वता), अत्यधिक तरलता वाले निवेश,
राशि में तुरंत परिवर्तित होने योग्य हों और जिनके साथ मूल्य में परिवर्तन का जोखिम नहीं के बराबर ह
में मानती है।

(घ) नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह विवरण अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया जाता है, जिसमें कर पूर्व शुद्ध लाभ/(हानि) क
प्रवृत्ति के लेनदेन के प्रभाव और अतीत या वर्तमान की नकद प्राप्ति या भुगतान के प्रोदभवन या अ
अदायगी के लिए समायोजित की जाती है। कम्पनी के संचालन, निवेश और वित्तीय गतिविधियों से नक
अलग कर दिया जाता है।

(ङ) कराधान

आयकर व्यय में मौजूदा और आस्थगित कर भुगतान आता है। इसे लाभ और हानि विवरण में दर्शाया
केवल उस स्थिति को छोड़ कर, जब यह किसी ऐसी वस्तु से जुड़ा हो, जिसे इक्विटी में सीधे या अन्य नक
में दिखाया गया हो। इस स्थिति में कर भी इक्विटी में सीधे या अन्य नकदी प्रवाह में दर्शाया जाएगा।

मौजूदा कर उस वर्ष के लिए करयोग्य आय पर अनुमानित कर भुगतान है, जिस पर तथा पिछले वर्ष के योग्य कर के किसी समायोजन पर रिपोर्टिंग तिथि पर व्यवहार्य कर दरें या मूल रूप से लागू कर दरें प्र हैं।

आस्थगित कर भुगतान का निर्धारण वित्तीय विवरण में परिसम्पत्तियों और देनदारियों की राशि तथा क आय की गणना में प्रयुक्त संबंधित कर आधार के बीच के अस्थायी अंतर पर किया जाता है। आस्थ भुगतान की गणना रिपोर्टिंग तिथि पर लागू कानूनों या मूल रूप से लागू कानून पर आधारित कर द जाती है। आस्थगित भुगतान कर परिसम्पत्तियां और देनदारियां समायोजन योग्य हैं, यदि मौजूदा कर अ और परिसम्पत्तियों को समायोजित करने का कानूनी रूप से बाध्यकारी अधिकार हो और वे उसी कर प्र द्वारा लगाए गए आयकर से संबंधित हों।

आस्थगित कर परिसम्पत्ति, सभी कटौती योग्य अस्थाई अंतरों के लिए, उस सीमा तक मान्य है, जहां संभावना हो कि कर योग्य लाभ से कटौती योग्य अस्थाई अंतर का उपयोग किया जा सकेगा। आस्थ परिसम्पत्तियों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर की जाती है और इसे उस सीमा तक कम किया जा संबंधित कर लाभ की संभावना शेष न रहे।

आस्थगित कर परिसम्पत्तियों की मौजूदा राशि की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है और सीमा तक कम किया जाता है, कि यह संभावना शेष न रहे कि पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होग परिसम्पत्तियों के सभी भागों की पुनः प्राप्ति हो सकेगी।

(f) प्रावधान, आकस्मिक देनदारियां और आकस्मिक परिसम्पत्तियां

i. यदि कम्पनी की मौजूदा देनदारी (कानूनी या तर्कसंगत) किसी पिछले कारण से हो, और इस बात की सं कि कम्पनी को इस देनदारी का समाधान करना होगा और देनदारी की राशि का विश्वसनीय आकलन कर तो संबंधित प्रावधान लागू होंगे। प्रावधान के रूप में तय की गई राशि रिपोर्टिंग अवधि के अंत में तमाम और अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए मौजूदा देनदारी के समाधान पर विचार के लिए सर्वोत्तम होगी। यदि किसी प्रावधान के समायोजन के लिए आवश्यक सभी या कुछ आर्थिक लाभ किसी तीसरी रिकवर किए जाने की आशा हो, तो प्राप्ति परिसम्पत्ति मानी जाएगी, यदि यह निश्चित हो कि प्रतिपूर्ति प्र और इससे संबंधित राशि का आकलन विश्वसनीय तरीके से किया जाएगा।

ii. जहां इस बात की संभावना न हो कि आर्थिक लाभों का निर्गमन जरूरी होगा या संबंधित राशि का विश्वस से आकलन नहीं हो सकेगा, तो यह देनदारी लेखांकन टिप्पणियों में तब तक आकस्मिक देनदारी मानी ज तक आर्थिक लाभों के निर्गमन की संभावना समाप्त नहीं हो जाती।

iii. वित्तीय विवरणों में आकस्मिक परिसम्पत्तियों का ब्यौरा नहीं होता है। इसका स्पष्टीकरण तभी किया जात आर्थिक लाभ के अंतरप्रवाह की संभावना हो।

iv. प्रत्येक तुलनपत्रक तिथि पर इनकी समीक्षा की जाती है और इन्हें मौजूदा प्रबंध आकलन को दर्शाने समायोजित किया जाता है।

(g) वित्तीय उपाय

वित्तीय परिसम्पत्तियां और वित्तीय देनदारियों की गणना तब होती है, जब कम्पनी वित्तीय प्रबंधों के अनुबंध का एक पक्ष हो। आरंभ में वित्तीय परिसम्पत्तियों और वित्तीय देनदारियों की गणना इनके अधिग्रहण या इ करने से संबंधित समुचित मूल्य से लेनदेन लागत के जोड़/घटाव के अनुरूप की जाती है। यदि वित्तीय परि और देनदारियों को लाभ और हानि के जरिए उचित मूल्य से आंका जाता है, तो इसे लाभ और हानि ि लेनदेन की लागत माना जाएगा।

h.1 वित्तीय परिसम्पत्तियां

वित्तीय परिसम्पत्तियों की सभी सामान्य खरीद या बिक्री समायोजन तिथि के आधार पर मान्य और होगी।.

वित्तीय परिसम्पत्तियों के वर्गीकरण के आधार पर इन परिसम्पत्तियों का आकलन उनकी परिशोधन लागत मूल्य के आधार पर किया जाएगा।

i) **वित्तीय परिसम्पत्तियों का वर्गीकरण और मापन (इक्विटी को छोड़ कर)**

क) परिशोधन लागत पर वित्तीय परिसम्पत्तियां

निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने वाली वित्तीय परिसम्पत्तियों का मापन प्रभावी ब्याज दर विधि (ईआ परिशोधन लागत पर किया

• परिसम्पत्ति किसी ऐसे कारोबारी मॉडल के तहत हो, जिसका उद्देश्य अनुबंध के आधार पर नकदी प्र करने के लिए परिसम्पत्तियां रखना हो;

• परिसम्पत्ति की अनुबंधगत शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर नकद प्रवाह बढ़ाती हों, जो नकद प्रवाह केवल ब राशि पर मूल राशि तथा ब्याज (एसपीपी) भुगतान से आता हो।.

ख) अन्य व्यापक आय (एफवीटीओसीआई) के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय परिस

एफवीटीओसीआई पर वित्तीय परिसम्पत्ति की गणना की जाती है, यदि नीचे दी गई दोनों स्थितियां उपल

• व्यापार मॉडल का लक्ष्य अनुबंध पर नकदी प्रवाह और वित्तीय परिसम्पत्तियों के विक्रय से प्राप्त किया और

• परिसम्पत्ति की अनुबंधगत शर्तें विशिष्ट तिथियों पर नकदी प्रवाह बढ़ाती हों, जो मूल बकाया राशि पर ब्याज (एसपीपीआई) के भुगतान के रूप में हो।

ग) लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय परिसम्पत्तियां (एफव

एक वित्तीय परिसम्पत्ति का मापन एफवीटीपीएल पर किया जाता है, जब तक कि इसे लाभ और हानि ि मान्य उचित मूल्य में सभी बदलावों के साथ परिशोधित लागत या एफवीटीओसीआई पर न मापा गया हो

ii) **वित्तीय परिसम्पत्तियों की**

क) आरंभिक मान्यता के अनुरूप, कम्पनी वित्तीय परिसम्पत्तियों पर अनुमानित क्रेडिट हानि (ईसीएल) परिशोधित लागत पर करती है। ऐसी वित्तीय परिसम्पत्तियों पर, ऋण परिसम्पत्तियों को छोड़ कर, ईसीएल पूरी अवधि की अनुमानित हानियों के समतुल्य राशि पर किया जात ईसीएल के मापन और मान्यता के लिए क्षति संबंधी अपेक्षाएं समान रूप से एफवीटीओसीआई पर ऋण पर लागू होती हैं। केवल उस स्थिति को छोड़ कर, जहां ईसीएल अन्य व्यापक आय के रूप में मान्य हो तुलनपत्रक में मौजूदा राशि से न घटाया गया हो।

ख) ऋण परिसम्पत्तियों की क्षति और लेटर ऑफ कम्फर्ट (एलओसी) के तहत प्रति यदि ऋण क्षति हुई हो या क्रेडिट जोखिम (एसआईसीआर) में आरंभिक मान्यता के बाद महत्वपूर्ण बढ़ोतर तो कम्पनी ऋण परिसम्पत्तियों पर ईसीएल का मापन पूरी अवधि के ईसीएल के समतुल्य राशि पर करती आरंभिक मान्यता की तुलना में कोई एसआईसीआर न हो, तो कम्पनी 12 महीने के ईसीएल के समतुल्य ईसीएल का मापन करती है। आरंभिक मान्यता के बाद से एसआईसीआर का आकलन करते समय तर्कसंगत और सहयोगी सूचना पर विचार करती है, जो अनावश्यक लागत या प्रयास के बिना उपलब्ध कम्पनी ने पिछली अवधि में हानि अलाउंस का मापन पूरी अवधि के ईसीएल के रूप में किया हो, लेकिन अवधि में निश्चित किया हो कि आरंभिक मान्यता के बाद से, क्रेडिट गुणवत्ता में सुधार के का एसआईसीआर नहीं रहा है, तो कम्पनी फिर हानि आलाउंस का मापन 12 महीने की ईसीएल के आधार है। क्रेडिट क्षति वाली ऋण परिसम्पत्तियों के लिए ईसीएल का मापन व्यक्तिगत आधार पर किया जात अन्य ऋण परिसम्पत्तियों पर सामान्य तौर पर इसका मापन सामूहिक आधार पर होता है।

ग) क्षति संबंधी हानी और उनकी बहाली लाभ और हानि विवरण में दर्शायी गई है

iii) **वित्तीय परिसम्पत्तियों को अमान्य**

कम्पनी किसी वित्तीय परिसम्पत्ति को तब अमान्य करती है, जब परिसम्पत्ति से नकदी प्रवाह के अ अधिकार की अवधि समाप्त हो जाती है या जब कम्पनी किसी दूसरी पार्टी को वित्तीय परिसम्पत्ति, स्वा इससे संबंधित जोखिम हस्तांतरित कर देती

वित्तीय परिसम्पत्ति को पूरी तरह समाप्त कर दिए जाने पर, परिसम्पत्ति की मौजूदा राशि तथा प्राप्त अ योग्य राशि का जोड़ जिसे अन्य व्यापक आय में दिखाए गया था और इक्विटी में जमा लाभ या हानि लाभ हानि विवरण में दर्शाया गया है, यदि ऐसे लाभ या हानि को वित्तीय परिसम्पत्ति समाप्त किए ज लाभ हानि विवरण में न दर्शाया गया हो।

h.2 वित्तीय देयताएं

i) डेरिव्हेटिव्स और वित्तीय गारंटी अनुबंधों के अलावा सभी वित्तीय देयताएं कारगर ब्याज दर (ईआईआर) उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर मापी जाती ईआईआर का निर्धारण वित्तीय देयता की आरंभिक पहचान पर किया जाता है। इसे संबंधित अनुबंध की अनुसार फ्लोटिंग ब्याज दर वाली वित्तीय परिसम्पत्तियों के लिए संबंधित पुनः निर्धारण तिथि पर अद्यत

जाता है।

ii)वित्तीय देयताओं को अमान्य

कम्पनी वित्तीय देयताओं को तभी और केवल तभी अमान्य करती है, जब कम्पनी के दायित्वों का नि
जाता है, वे रद्द हो जाते हैं या उनकी अवधि समाप्त हो जाती है। अमान्य की गई वित्तीय देयताओं की
भुगतान की गई तथा भुगतान किए जाने योग्य राशि का अंतर लाभ हानि विवरण में दर्शाया जाता है।

(i) प्रति शेयर आय

प्रति शेयर प्राथमिक आय की गणना कर के बाद शुद्ध लाभ को अवधि के दौरान बकाया इक्विटी
औसत संख्या मूल्य से भाग देकर की जाती है। प्रति शेयर डायल्यूटिड आय की गणना टैक्स के बाद लाभ
शेयर प्राथमिक आय निकालने के लिए विचार किए गए इक्विटी शेयरों के औसत संख्या मूल्य और सभी
शेयरों, जिन्हें जारी किया जा सकता था, के औसत संख्या मूल्य भाग देकर की जाती है।

तात्या आंध्रा मेगा पावर लिमिटेड
सीआईएन : डी40200डीएन2009जीओआई189476
31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियां

4. नकदी और नकदी समतुल्य

(₹ ।सौ में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
बैंकों में अधिशेष:			
चालू खाते में	118.86	258.91	147.10
	118.86	**258.91**	**147.10**

5 ऋण

(₹ ।सौ में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
असुरक्षित लेकिन वापस होने योग्य ऋण			
और संबंधित पार्टी को जमा ब्याज का भुगतान	12,68,067.02	10,68,026.74	10,76,646.41
लेकिन बकाए का नहीं	7,60,091.71	6,93,872.86	6,35,890.92
	20,28,158.73	**17,61,899.60**	**17,12,537.33**

6. अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां

(₹ ।सौ में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
आंध्र प्रदेश सरकार से प्राप्ति योग्य	2,32,116.29	4,37,267.59	4,35,211.57
	2,32,116.29	**4,37,267.59**	**4,35,211.57**

7.मौजूदा कर परिसम्पत्तियां (शुद्ध)

(₹ ।सौ में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
- पूर्व भुगतान किया गया आयकर	17.10	16.79	10.99
घटा : आयकर प्रावधान	0.13	-	-
	16.97	**16.79**	**10.99**

8.इक्विटी शेयर पूंजी

रुपये सौ में

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को	01 अप्रैल 2017 को
अधिकृत शेयर पूंजी 50,000 इक्विटी शेयर, प्रत्येक 10 रुपये का (31 मार्च, 2018 को : 50,000; पहली अप्रैल, 2017 : 50,000)	5,000.00	5,000.00	5,000.00
जारी, सब्स्क्राइब्ड और अदा पूंजी में शामिल : 50,000 इक्विटी शेयर, प्रत्येक 10 रुपये का (31 मार्च, 2018 को : 50,000; पहली अप्रैल, 2017 : 50,000) पूरी तरह भुगतान किया गया	5,000.00	5,000.00	5,000.00
	5,000.00	**5,000.00**	**5,000.00**

(i) वर्ष के आरंभ और अंत में बकाया शेयरों की संख्या का मिलान :

विवरण	31 मार्च, 2019 को		31 मार्च, 2018 को	
	धारित शेयरों की संख्या	राशि	धारित शेयरों की संख्या	राशि
वर्ष के आरंभ में बकाया शेयर	50,000	5,000.00	50,000	5,000.00
वर्ष के दौरान जारी शेयर	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया शेयर	50,000	5,000.00	50,000	5,000.00

(ii) इक्विटी शेयरों से जुड़े अधिकार, प्राथमिकताएं और पाबंदियां :

कम्पनी के पास 10 रुपये प्रति शेयर मूल्य के इक्विटी शेयर हैं। प्रत्येक शेयरधारक प्रति शेयर एक वोट के लिए पात्र है। निर्देशक लाभांश वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन पर आधारित है, केवल अंतरिम लाभांश के मामले को छोड़ कर। नकदी प्रवा में शेयर होल्डर सभी अधिमान्य राशियों के वितरण के बाद अपनी शेयरधारिता के अनुपात में कम्पनी की शेष परिसम्पत्तियां प्राप्त कर

(iii) होल्डिंग कम्पनी धारित इक्विटी शेयरों का ब्यौरा :

विवरण	शेयरों की संख्या	राशि
31 मार्च, 2019 को		
पॉवर फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड*	50,000	5,000.00
31 मार्च, 2018 को		
पॉवर फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड*	50,000	5,000.00
01 अप्रैल, 2017 को		
पॉवर फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड*	50,000	5,000.00

(iv) कम्पनी में 5 प्रतिशत से अधिक शेयर रखने वाले प्रत्येक शेयरहोल्डर के शेयरों का ब्यौरा :

विवरण	31 मार्च, 2019 को		31 मार्च, 2018 को		0
	धारित शेयरों की संख्या	%	धारित शेयरों की संख्या	%	धा क
पूरी तरह भुगतान किए गए इक्विटी शेयर					
होल्डिंग कम्पनी, पॉवर फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड*	50,000	100%	50,000	100%	

* इक्विटी शेयर पॉवर फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड और इसके नामितियों के पास हैं

तात्या आंध्रा मेगा पावर लिमिटेड

सीआईएन :डी40200डीएल2009जीओआई189476

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियां

9. अन्य इक्विटी

रुपये सौ में

विवरण	**31 मार्च, 2019 को**	**31 मार्च, 2018 को**	**01 अप्रैल 2017 को**
<u>प्रतिधारित आय</u>			
वर्ष के आरंभ में शेष	(149.72)	(149.72)	(149.72)
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	0.36	-	-
वर्ष के अंत में शेष	**(149.36)**	**(149.72)**	**(149.72)**

10. अन्य वित्तीय देनदारियां (मौजूदा)

(₹ सौ में)

विवरण	**31 मार्च, 2019 को**	**31 मार्च, 2018 को**	**01 अप्रैल, 2017 को**
परिशोधित मूल्य पर			
अग्रिम प्रतिबद्धता (असुरक्षित)	15,60,907.33	15,62,732.48	15,64,788.50
ब्याज जमा, लेकिन अग्रिम प्रतिबद्धता पर बकाया नहीं	6,71,600.40	6,11,285.59	5,58,806.71
	22,32,507.73	21,74,018.07	21,23,595.21
ब्याज जमा, लेकिन उधारी (संबंधित पार्टी) पर बकाया नहीं	16,769.05	14,692.91	12,971.99
भुगतान योग्य व्यय	472.50	472.50	459.38
	22,49,749.28	**21,89,183.48**	**21,37,026.58**

11.अन्य मौजूदा देनदारियां

(₹ सौ में)

विवरण	**31 मार्च, 2019 को**	**31 मार्च, 2018 को**	**01 अप्रैल, 2017 को**

वैधानिक बकाया	5,810.93	5,409.13	6,030.13
	5,810.93	**5,409.13**	**6,030.13**

12. अन्य आय

FALSE

विवरण	**For the year ended March 31, 2019**	**For the year ended March 31, 2018**
अप्रयुक्त भाग पर ब्याज आय	66,225.47	57,987.74
आईटी रिफंड पर ब्याज आय	0.49	-
	66,225.96	**57,987.74**

13. आय कर

TRUE

विवरण	**31 मार्च, 2019 को**	**31 मार्च, 2018 को**
मौजूदा कर		
मौजूदा वर्ष के संदर्भ में	0.13	-
बकाया कर		
मौजूदा वर्ष के संदर्भ में	-	-
मौजूदा वर्ष में कुल आयकर व्यय	**0.13**	**-**
वर्ष के लिए आयकर व्यय का निम्नानुसार लेखांकन लाभ से मिलान किया जा सकता है:		
कर पूर्व लाभ	0.49	-
व्यवहार्य कर दर	26.00%	25.75%
परिकल्पित कर व्यय	0.13	**-**
लाभ या हानि में दर्शाया आयकर व्यय	**0.13**	**-**

14.प्रति शेयर आय

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
प्राथमिक और न्यूनतम आय प्रति शेयर		
प्रति इक्विटी शेयर अंकित मूल्य	10	10
इक्विटी शेयरधारकों को दिए गए लाभ और हानि विवरण के अनुसार कर बाद शुद्ध लाभ और (हानि)	0.36	-
बुनियादी प्रतिशेयर आय की गणना के लिए डिनोमिनेटर के रूप में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की औसत संख्या	50,000	50,000
प्राथमिक और न्यूनतम आय प्रति शेयर	0.001	-
कम्पनी द्वारा कोई तरलताकारी उपाय जारी नहीं किया गया है		

तात्या आंध्रा मेगा पावर लिमिटेड

सीआईएन : डी40200डीएल2009जीओआई189476

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियां

15. वित्तीय उपाय

(1) पूंजी प्रबंधन

कम्पनी अपना पूंजी प्रबंधन यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से करती है कि वह आंध्र प्रदेश परियोजना के तहत 4000 मेगावाट के अ
भूमि अधिग्रहण और पर्यावरण, वन इत्यादि सहित अन्य प्रारंभिक कार्यों की वैधानिक मंजूरी से संबंधित व्यय के लिए पूंजीगत जरूर
प्रतिबद्धता के रूप में प्राप्त राशि से परिचालन संबंधी व्यय पूरा करती है।

कम्पनी बाहर से आरोपित पूंजी आवश्यकता के लिए उत्तरदायी नहीं है

कम्पनी बोर्ड आवश्यकता के आधार पर पूंजी प्रबंधन की समीक्षा करता है। पूंजी की जरूरतें उधारी और अग्रिम ऋण के जरिए पूरी की
कम्पनी की नीति लघु अवधि और दीर्घावधि ऋण के उपयोग की है।

(i) वित्तीय उपायों की श्रेणियां

विवरण	**31 म**
परिशोधित लागत पर दर्ज	
वित्तीय परिसम्पत्तियां	
नकदी और बैंक अधिशेष	1
ऋण	20,28
वित्तीय देनदारियां	
अन्य वित्तीय देनदारियां	22,49

(ii)वित्तीय जोखिम प्रबंधन लक्ष्य

कम्पनी की कॉर्पोरेट ट्रेजरी (कोषागार) का कार्य जोखिमों की तीव्रता और आशंकाओं का विश्लेषण कर कम्पनी की परिचालन संबंधी
है। इन जोखिमों में बाजार संबंधी जोखिम, (मुद्रा संबंधी, ब्याज और अन्य मूल्य संबंधी जोखिम सहित), ऋण और तरलता संबंधी जोखि

(iii) बाजार जोखिम

कम्पनी की गतिविधियां इसके लिए मुख्य रूप से ब्याज दर में बदलाव संबंधी वित्तीय जोखिम उत्पन्न करती हैं। (नीचे नोट v देखें)।

बाजार जोखिमों का मापन संवेदी विश्लेषण के जरिए किया जाता है

कम्पनी के बाजार संबंधी जोखिमों की आशंका या उन तरीकों में, कोई बदलाव नहीं रहा है जिनके द्वारा इन जोखिमों का मापन और

(iv) विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन

कम्पनी का विदेशी मुद्रा में कोई लेनदेन नहीं है

(v) ब्याज दर और जोखिम प्रबंधन

कम्पनी के लिए ब्याज दर जोखिम की आशंका है, क्योंकि यह समय समय पर (ब्याज दर में उतार चढ़ाव से प्रभावित), स्टेट सेक्टर उ
दर पर उधार लेती है।

वित्तीय परिसम्पत्तियां और वित्तीय देनदारियों के लिए ब्याज दर से संबंधित जोखिम का विस्तृत ब्यौरा इस नोट के तरलता जोखिम प्र

ब्याज दर संवेदनशीलता विश्लेषण

नीचे दिए गए संवेदनशीलता विश्लेषण का निर्धारण रिपोर्टिंग अवधि के अंत में नॉन डेरिवेटिव उपायों के लिए ब्याज दर की प्रतिक्रि
देनदारियों के लिए विश्लेषण यह मान कर किया गया है कि रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया देनदारी राशि पूरे वर्ष के लिए बका
उपयोग तब किया जाता है, जब ब्याज दर जोखिम, ब्याज दरों में संभावित तर्कसंगत बदलाव के प्रबंधन के आकलन को दर्शाता है।

अन्य सभी कारकों को स्थिर रख कर ब्याज में 50 आधार अंक के उतार चढ़ाव के लिए संवेदनशीलता विश्लेषण

विवरण
लाभ या हानि पर असर Impact for Other comprehensive income

(vi) मूल्य संबंधी अन्य जोखिम

कम्पनी मूल्य संबंधी किसी जोखिम से नहीं जुड़ी है, क्योंकि यह कोई निवेश नहीं करती।

(vii) ऋण जोखिम प्रबंधन

ऋण जोखिम वह जोखिम है, जब प्रतिपक्ष अनुबंध संबंधी दायित्वों को पूरा न करे, जिससे कम्पनी को
कम्पनी के समक्ष ऐसी आशंका बहुत ही सीमित है, क्योंकि उसे पीएफसी से राशि प्राप्त होती है, जैसा कि टिप्पणी 5 में उल्लिखित है
ऋण प्राप्तियां इसकी होल्डिंग कम्पनी (पॉवर फाइनेंस कार्पोरेशन) के
कम्पनी के बैंक अधिशेष प्रसिद्ध और विश्वसनीय बैंकिंग संस्था के पास है, जिसकी वजह से प्रतिपक्षो से जोखिम आशंका काफी सीमि

(viii) तरलता जोखिम प्रबंधन

कम्पनी तरलता या नकदी प्रवाह संबंधी जोखिमों का प्रबंधन पर्याप्त रिजर्व रख कर और अनुमानों तथा वास्तविक नकदी प्रवाह की
और देनदारियों की परिपक्वता प्रोफाइल की तुलना कर करती है।

यह तालिका 31 मार्च, 2019 को वित्तीय देनदारियों की अनुबंधगत परिपक्वता संबंधी ब्यौरा उपलब्ध कराती है।

विवरण	**मौजूदा राशि**	**पहले वर्ष में देय**	**दो से 5 वर्ष में देय**	**5 वर्ष से अधिक में देय**	**देयत**
वित्तीय देनदारियां					
उधारियां	-	-	-	-	-
अन्य वित्तीय देनदारियां	22,49,749.28	22,49,749.28	-	-	-

यह तालिका 31 मार्च, 2018 को अनुमानित ब्याज भुगतान सहित वित्तीय देनदारियों की अनुबंधगत परिपक्वता संबंधी ब्यौरा उपलब्ध क

विवरण	**मौजूदा राशि**	**पहले वर्ष में देय**	**2-5 वर्ष में देय**	**5 वर्ष से अधिक समय में देय**	**देयत**
वित्तीय देनदारियां					
उधारियां	-	-	-	-	-
अन्य वित्तीय देनदारियां	21,89,183.48	21,89,183.48	-	-	-

यह तालिका 01 अप्रैल, 2017 को अनुमानित ब्याज भुगतान सहित वित्तीय देनदारियों की अनुबंधगत परिपक्वता संबंधी ब्यौरा उपलब्ध क

विवरण	**मौजूदा राशि**	**पहले वर्ष में देय**	**2-5 वर्ष में देय**	**5 वर्ष से अधिक समय में देय**	**देयत**
वित्तीय देनदारियां					
देनदारियां	-	-	-	-	-
अन्य वित्तीय दायित्व	21,37,026.58	21,37,026.58	-	-	-

यह तालिका 31 मार्च, 2019 को अनुमानित ब्याज प्राप्तियों सहित वित्तीय परिसम्पत्तियों की अनुबंधगत परिपक्वता संबंधी ब्यौरा उपलब्ध

विवरण	**मौजूदा राशि**	**पहले वर्ष में देय**	**2-5 वर्ष में देय**	**5 से अधिक वर्षों देय**	**देयत**
ऋण	20,28,158.73	20,28,158.73	-	-	
अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	2,32,116.29	2,32,116.29	-	-	

यह तालिका 31 मार्च, 2018 को अनुमानित ब्याज प्राप्तियों सहित वित्तीय परिसम्पत्तियों की अनुबंधगत परिपक्वता संबंधी ब्यौरा उपलब्ध

विवरण	**मौजूदा राशि**	**पहले वर्ष में देय**	**2-5 वर्ष में देय**	**5 से अधिक वर्षों में देय**	**देयत**
ऋण	17,61,899.60	17,61,899.60	-	-	
अन्य वित्तीय सम्पत्तियां Other financial assets	4,37,267.59	4,37,267.59	-	-	

यह तालिका 01 अप्रैल 2017 को अनुमानित ब्याज प्राप्तियों सहित वित्तीय परिसम्पत्तियों की अनुबंधगत परिपक्वता संबंधी ब्यौरा उपलब

विवरण	**मौजूदा राशि**	**पहले वर्ष में देय**	**2-5 वर्ष में देय**	**5 से अधिक वर्ष में देय**	**देयत**

ऋण	17,12,537.33	17,12,537.33	-	-
अन्य वित्तीय संपत्तियां	4,35,211.57	4,35,211.57	-	-

(xi) वित्तीय परिसम्पत्तियों और वित्तीय देनदारियों का उचित मुल्य :

विवरण	**उचित मूल्य अनुक्रम**	**31 मार्च 2019 को**		**31 मार्च 2018 को**	
		मौजूदा राशि	**उचित मूल्य**	**मोजूदा राशि**	**उचि**
वित्तीय परिसम्पत्तियां					
नकदी और नकदी समतुल्य	Level 3	118.86	118.86	258.91	258.9
ऋण-	Level 3	20,28,158.73	20,28,158.73	17,61,899.60	17,61
वित्तीय देनदारियां					
अन्य वित्तीय देनदारियां	Level 3	22,49,749.28	22,49,749.28	21,89,183.48	21,89

वित्तीय विवरणों में मौजूदा राशि के लगभग वित्तीय परिसम्पत्तियों और देनदारियों का उचित मूल्य दर्शाया गया है। वर्ष में लेवल 1, ले
है। वित्तीय परिसम्पत्तियों और वित्तीय देनदारियों की मौजूदा राशि का मापन इंड एएस में परिशोधित लागत पर किया गया है। यह
क्योंकि कम्पनी यह नहीं मानती कि मौजूदा मूल्य और संभावित प्राप्ति या तय मूल्य में महत्वपूर्ण अंतर होगा।

तात्या आंधा मेगा पावर लिमिटेड

सीआईएलडी40200डीएल2009जीओआई189476

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियां

16 संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन का विवरण

16.1 संबंधित पक्षों के नाम और संबंध का विवरण:

क्र सं.	संबंधित पक्ष का नाम	कार्य का स्वरूप
1	पॉवर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड	होल्डिंग कम्पनी
2	पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड	सहयोगी कम्पनी
3	छत्तीसगढ़ सरगूज़ा पॉवर लिमिटेड	सहयोगी कम्पनी
4	कोस्टल कर्नाटक पॉवर लिमिटेड	सहयोगी कम्पनी
5	कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पॉवर लिमिटेड	सहयोगी कम्पनी
6	ओडिसा इंटिग्रेटिड पॉवर लिमिटेड	सहयोगी कम्पनी
7	कोस्टल तमिलनाडु पॉवर लिमिटेड	सहयोगी कम्पनी
8	घोगरपल्ली इंटिग्रेटिड पॉवर कम्पनी लिमिटेड	सहयोगी कम्पनी
9	बिहार मेगा पॉवर लिमिटेड	सहयोगी कम्पनी
10	साखीगोपाल इंटिग्रेटिड पॉवर कम्पनी लिमिटेड	सहयोगी कम्पनी
11	देवघर मेगा पॉवर लिमिटेड	सहयोगी कम्पनी
12	ओडिसा इन्फ्रापॉवर लिमिटेड	सहयोगी कम्पनी
13	चेय्यूर इन्फ्रा लिमिटेड	सहयोगी कम्पनी
14	देवघर इन्फ्रा लिमिटेड	सहयोगी कम्पनी
15	बिहार इन्फ्रापॉवर लिमिटेड	सहयोगी कम्पनी
16	झारखंड इन्फ्रापॉवर लिमिटेड	सहयोगी कम्पनी
17	बल्लभगढ़-जीएन ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड	सामान्य नियंत्रण के तहत उद्यम
18	टांडा ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड	सामान्य नियंत्रण के तहत उद्यम
19	मोहिंदरगढ़-भिवानी ट्रांसमिशन लिमिटेड	सामान्य नियंत्रण के तहत उद्यम
20	साउथ सेंट्रल ईस्ट दिल्ली पॉवर ट्रांसमिशन लिमिटेड	सामान्य नियंत्रण के तहत उद्यम
21	शौंगटोंग करचाम वांगटू ट्रांसमिशन लिमिटेड	सामान्य नियंत्रण के तहत उद्यम
22	बीजावर-विदर्भ ट्रांसमिशन लिमिटेड	सामान्य नियंत्रण के तहत उद्यम
23	वापी-II नार्थ लखीमपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड	सामान्य नियंत्रण के तहत उद्यम
24	लाकदिया-वडोदरा ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट लिमिटेड	सामान्य नियंत्रण के तहत उद्यम
25	भुजj-II ट्रांसमिशन लिमिटेड	सामान्य नियंत्रण के तहत उद्यम
26	फतेहगढ़-Ii ट्रांसको लिमिटेड	सामान्य नियंत्रण के तहत उद्यम
27	बीकानेर-खेतड़ी ट्रांसमिशन लिमिटेड	सामान्य नियंत्रण के तहत उद्यम

कम्पनी के मुख्य प्रबंधनकर्मी होल्डिंग कम्पनी पीएफसी के कर्मचारी हैं और अंशकालिक आधार पर नियुक्त हैं।

क्र सं	नाम	पद	नियुक्ति तिथि	समाप
1	श्री चिन्मय गंगोपाध्याय	अध्यक्ष	26.02.2015	
2	श्री आलोक सिंघल	निदेशक	21.09.2016	
	श्री योगेश जुनेजा	निदेशक	18.10.2017	

16.2 लेनदेन का ब्यौरा :

16.2.1 संबंधित पार्टी से लेनदेन :

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष	31 मा सम
<u>पॉवर फाइनेंस कार्पोरेशन, होल्डिंग कम्पनी</u>		
ब्याज व्यय	2,076.14	
प्रदत ऋण (शुद्ध)	2,00,040.28	

16.2.2 संबंधित पक्ष के साथ बकाया शेषः

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष	31 मा सम
<u>पॉवर फाइनेंस कार्पोरेशन, होल्डिंग कम्पनी</u>		
भुगतान योग्य ब्याज/संचित लेकिन उधारी पर बकाया नहीं	16,769.05	
दिए गए ऋण	12,68,067.02	1
प्राप्ति योग्य ब्याज/संचित लेकिन बकाया नहीं	7,60,091.71	

16.2.3 प्रमुख प्रबंधकर्मियों का मुआवज़ा :

कम्पनी में कर्मचारी होल्डिंग कम्पनी (पीएफसी) के साथ समझौते के अनुरूप अनुबंध शर्तों पर हैं। निर्देशकों को किसी सिटिं
गया है।

17 **(पॉवर फाइनेंत कार्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल ने 14.8.2014 की अपनी बैठक में टीएएमपीएल को बंद करने के प्रस्त 1956 की धारा 560 के प्रावधानों, और यदि कोई हो तो अन्य व्यवहार्य प्रावधान के अनुरूप, मौजूदा समय में लागू करने योग्‍ के लिए प्रस्तुत अन्य व्यवहार्य कानूनों के तहत, किया गया और बिजली मंत्रालय से इसके अनुरूप अनुमोदन के लिए अनुरोध 21 जून, 2016 के जरिए टीएएमपीएल को बंद करने की अपनी मंजूरी दे दी। इसके अनुसार टीएएमपीए**

आंध्र प्रदेश सरकार ने 4 दिसम्बर 2018 को टीएएमपीएल को 2.06.976.45 सौ रुपये दिए, जो (टीएएमपीएल में कुल व्यय में प्रतिशत है। 2,41,898.95 सौ रुपये की शेष राशि जो 4,48,875.40 सौ रुपये का 53.89 प्रतिशत है, अभी तेलंगाना सरकार/आंध्र आंध्र प्रदेश सरकार और बिजली मंत्रालय के साथ उठाया है जिसके जवाब की प्रतीक्षा है।

(ख) चूंकि बिजली मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार परियोजना बंद की जानी है और कम्पनी को भी समाप्त किया जाना है, वि अनुसार परिसम्पत्तियों और देनदारियों को इस आधार पर दर्ज किया गया है कि कम्पनी अपनी परिसम्पत्तियों की पहचान क्रम में पूरा करेगी।

(ग) बिजली मंत्रालय, भारत सरकार के निर्णय के अनुसार कम्पनी को पॉवर प्रोक्योरिंग यूटिलिटीज़ से 40,00,000.00 सौ रुप खरीदारों और सफल नीलामीकर्ता के साथ बिजली खरीद समझौते के जरिए, परियोजना पूरी हो जाने पर विशेष बिजली क 20,00,000.00 सौ रुपये की राशि प्राप्त हो गई है और 20,00,000.00 सौ रुपये आंध्र प्रदेश सरकार से अभी प्राप्त होने हैं। क कार्य के रूप में दिखलाया गया व्यय कम्पनियों द्वारा परियोजना में उन्हें आवंटित बिजली के हिस्से के अनुरूप प्रतिबद्‌ अधिशेष/घाटे को समायोजन के बाद संबंधित कम्पनियों को रिफंड किया जाना है या लिया जाना है। रिफंड की जाने वाली प्र तहत तुलनपत्रक में दिखलाई गई है। प्रतिबद्धता अग्रिम के रूप में वसूली योग्य राशि अन्य चालू परिसम्पत्तियों के तहत तुल

18 18. पीएफसी लिमिटेड के साथ वित्तीय समझौते के अनुसार 20,00,000.00 सौ रुपये की कुल प्रतिबद्धता अग्रिम राशि खरीद भुगतान के लिए होल्डिंग कम्पनी पीएफसी लिमिटेड में रखी गई। भुगतान के बाद शेष राशि का निवेश/प्रतिबद्धता अग्रिम गया तथा देय ब्याज को तुलनपत्रक में अन्य मौजूदा परिसम्पत्तियों के मद में दिखलाया गया।

19 कम्पनी बोर्ड के निर्णय के अनुसार वित्त वर्ष 2013-14 से प्रतिबद्धता अग्रिम के प्रयुक्त हिस्से पर कोई ब्याज देयता उपलब प्रतिबद्धता के अप्रयुक्त हिस्से के लिए होल्डिंग कम्पनी की नीति के अनुरूप दरों पर ब्याज का भुगतान कर रही है। कोष व है और इसका भुगतान खरीदारों को किया जाना है। अप्रयुक्त हिस्से पर ब्याज व्यय 66,225.46 सौ रुपये (पिछले वर्ष 57,987.

20 कम्पनी अधिनियम 2013 के तहत निर्धारित, आय पर करों के लेखांकन मानक-22 के अनुसार बकाया कर परिसम्पत्ति, पिछले हालांकि भविष्य के कर योग्य लाभों की तर्कसंगत निश्चितता की अनुपस्थिति में इन्हें खातों में नहीं दर्शाया गया है।

21 इन कम्पनियों के व्यय के आकलन के अनुसार पीएफसीएल/पीएफसीसीएल द्वारा व्यय का आवंटन विशेष प्रयोजन माध्यमों ऐसे व्यय के संदर्भ में बिल पीएफसीएल/पीएफसीसीएल के नाम में है और उनकी प्रतियां कम्पनी के पास उपलब्ध हैं। पीएफ कर के संबंध में इन व्यय पर लागू होने वाले सभी वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन कर रहा है।

22 वर्ष के दौरान हुए व्यय बिजली खरीदारों से लिए जाते हैं और उनके वसूली योग्य खाते में नीचे दिए गए विवरण के अनुसार

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष
लेखाकार को भुगतान	
- लेखाकार के रूप में	516.25
कानूनी, प्रोफेशनल और परामर्शी फीस	900.73
प्रशासनिक व्यय	157.18
<u>ब्याज व्यय</u>	
प्रयुक्त भाग पर ब्याज व्यय	2,076.14
जोड़ : प्रयुक्त भाग पर ब्याज व्यय	66,225.47
घटा: अप्रयुक्त भाग पर पीएफसी से वसूली योग्य ब्याज	(66,225.47)
कुल	**3,650.30**

23 **कर्मचारी लाभ योजनाएं**

चूंकि कम्पनी में कोई कर्मचारी नहीं है, इसलिए इंड एएस 19 के अनुरूप देयताओं का प्रश्न नहीं

24 **प्रतिबद्धताएं :**

विवरण
(क) पूंजी खाते पर क्रियान्वित होने वाले अनुबंधों की अनुमानित राशि, और जिन्हें (अग्रिम) नहीं उपलब्ध कराया गया है। : अन्य प्रतिबद्धताएं

25 **आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसम्पत्तियां**

विवरण
कम्पनी की आपात देयताएं और उसके खिलाफ दावे, इस अवधि के लिए प्रबंधन द्वारा प्रमाणित किए जाने के कारण कम्पनी द्वारा नहीं दर्शाए गए हैं। कम्पनी को आगे किसी आकस्मिक परिसम्पत्तियों और आकस्मिक लाभों की संभावना नहीं

26 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 (एमएमएमईडी अधिनियम) के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योंग के आधार पर :

विवरण

क) मूल राशि और आपूर्तिकर्ता को भुगतान नहीं किए जाने पर लेखा अवधि के अंत में बकाया ब्याज
ख) एमएसएमईडी अधिनियम 2006 के खंड 16 की शर्तों के अनुरूप खरीदार को भुगतान किए गए ब्याज की राशि, लेखा अवधि के दौरान निर्धारित तिथि से इतर आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि के साथ
ग) ब्याज की बकाया और विलम्ब की अवधि के लिए भुगतान की जाने वाली राशि, (जिसका भुगतान हो चुका है लेकिन अवधि के दौरान निर्धारित तिथि पर नहीं हुआ है) लेकिन एमएसएमईडी अधिनियम 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज जोड़े बगैर।
घ) ब्याज की प्रोदभूत और लेखाएवधि के अंत में भुगतान नहीं की गई राशि
ङ) आगे बकाया रह गए और बाद के वर्षों में भी उस तिथि तक भुगतान किए जाने वाले बकाया ब्याज की राशि जब तक कि यह बकाया ब्याज लघु उद्यम को, एमएसएमईडी अधिनियम 2006 के खंड 23 के तहत घटाए जाने वाले व्यय पर रोक के उद्देश्य से, चुका नहीं दिया जाता

27 लेखाकार का पारिश्रमिक

विवरण
वैधानिक लेखा परीक्षण *
कुल

* जीएसटी सहित

28 खंड संबंधी जानकारी

कम्पनी का निदेशक मंडल, जो मुख्य परिचालन निर्णयकर्ता (सीओडीएम) माना गया है, कम्पनी के प्रदर्शन का मूल्यांकन व
आधार पर संसाधनों का आवंटन करता है। कम्पनी का मुख्य लक्ष्य बिजली उत्पादन है और यह फिलहाल बिजली संयंत्र स
एकल इकाई होने के कारण इसके इर्दगिर्द हैं। इसके अलावा कोई अन्य भौगोलिक खंड नहीं हैं क्योंकि कम्पनी की समस्त ग
की आवश्यकता अनुसार कम्पनी के लिए अलग रिपोर्ट करने योग्य कोई खंड नहीं है।

29 अन्य स्पष्टीकरण :

(क) विदेशी मुद्रा में व्यय - शून्य

(ख) विदेशी मुद्रा में आय - शून्य

कम्पनी ने 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष तक के लिए अपने वित्तीय विवरण तैयार किए हैं, पूर्व में व्यवहार्य जीएएपी की अ
133, कम्पनी लेखांकन नियम 2014 के साथ पठित, के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानक (एएस) शामिल हैं। वित्तीय विवरण में
है, जिनका उपयोग कम्पनी का पहला इंड एएस वित्तीय विवरण तैयार करने में किया गया है।

1 पहली बार इंड एएस अपनाने संबंधी मिलान : -

31.1 31 मार्च 2018 और पहली अप्रैल 2017 को तुलनपत्रक में इंड एएस अपनाने का प्रभाव

विवरण	01 अप्रैल 2017		
	पिछला जीएएपी	समायोजन	इंड एएस
परिसम्पत्तियां			
चालू परिसम्पत्तियां			
(क)वित्तीय परिसम्पत्तियां			
(i) नकदी और नकदी समतुल्य	147.10	-	147.10
(ii) उधार	17,12,537.33	-	17,12,537.33
(iii) अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	4,35,211.57	-	4,35,211.57
(ख) चालू कर परिसम्पत्तियां (निवल) Current tax assets (Net)	10.99	-	10.99
कुल चालू परिसम्पत्तियां	21,47,906.99	-	21,47,906.99
कुल परिसम्पत्तियां	**21,47,906.99**	**-**	**21,47,906.99**
इक्विटी और देनदारियां			
इक्विटी			
(क)इक्विटी शेयर पूंजी	5,000.00	-	5,000.00
(ख)अन्य इक्विटी	(149.72)	-	(149.72)
कुल इक्विटी	4,850.28	-	4,850.28
देनदारियां			
गैर चालू देनदारियां			
(क)वित्तीय देनदारियां			
(i) अन्य वित्तीय देनदारियां	21,37,026.58	-	21,37,026.58
(ख) अन्य वित्तीय देनदारियां	6,030.13	-	6,030.13
कुल वित्तीय देनदारियां	21,43,056.71	-	21,43,056.71
कुल इक्विटी और देनदारियां	**21,47,906.99**	**-**	**21,47,906.99**

31.2 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ हानि विवरण में इंड एएस अपनाने संबंधी प्रभाव

विवरण	**पिछला जीएएपी**	**समाचोजन**
संचालनगत आय	-	-
अन्य आय	57,987.74	-
कुल आय (I)	**57,987.74**	**-**
व्यय		

अन्य व्यय	57,987.74	-	
कुल व्यय ((II)	**57,987.74**	**-**	
लाभ (हानि) कर (I-II) से पूर्व	**-**	**-**	
कर व्यय : (1) चालू कर (2)बकाया कर	 - -	 - -	
कुल कर व्यय	**-**	**-**	
अवधि के लिए लाभ (हानि)	**-**	**-**	

31.3 31 मार्च 2018 और 01 अप्रैल 2017 को लाभ हानि विवरण में इंड एएस अपनाने संबंधी प्रभाव: -

(₹ सौ में)

विवरण	**31 मार्च 2018 को**	**01 अप्रैल 2017 को**
अन्य इक्विटी, आईजीएएपी के तहत रिपोर्टिड	(149.72)	(149.72)
स्थानांतरण तिथि पर इक्विटी में गिरावट		
इंड एएस समायोजन		
अन्य समायोजन		
अवधि पूर्व समायोजन	-	-
इक्विटी पर कुल प्रभाव	-	-
अन्य इक्विटी, इंड एएस के तहत रिपोर्टिड	**(149.72)**	**(149.72)**

31.4 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण में इंड एएस अपनाने संबंधी प्रभाव

विवरण	**पिछला जीएएपी**	
परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह	111.81	
निवेश गतिविधियों में शुद्ध नकदी प्रवाह	-	
वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह	-	
वर्ष के दौरान नकदी और नकदी समतुल्य में शुद्ध वृद्धि/कमी	**111.81**	
जोड़ : वित्तीय वर्ष के आरंभ में नकदी और नकदी समतुल्य	147.10	
अवधि के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य	258.91	

* वर्ष के दौरान इन आंकड़ों को पुनःवर्गीकृत किया गया है।.

2 **वित्तीय विवरणों का अनुमोदन**

31 मार्च, 2019 को समाप्त अवधि के लिए वित्तीय विवरण निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किए गए और 20.05.2019 को जारी

कृते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

(योगेश जुनेजा)	**(आलोक सिंघल)**	**(नवीन भूषण गुप्ता)**
निदेशक	**निदेशकr**	**अध्यक्ष** / **निदेशक**
DIN:02913155	**DIN:00795955**	**DIN:00530741**

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते तथा ओर से
एके जैन एंड एसोशिएट्स
(सनदी लेखाकार)
कम्पनी रजिस्ट्रेशन सं. : 00865N)

(अरुण कुमार जैन)
साझेदार
सदस्यता संख्या : 094202
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 20.05.2019